



नाम न्यायालय : - सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु० जयपुर  
फर्द अहकाम

केस संख्या : 101/17 गैरी व वडी बनाम कवरल

केस संख्या	
29/8/2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के अधिवक्ता ने तहसीलदार आमेर से जाल रिपोर्ट का जवाब पत्र नहीं कर मौखिक बहस की। वडी व वडी के अधिवक्ता अनुपस्थित। भा. तो. पेशी पर अनुपस्थित रहने पर CPC के प्रावधानों के अनुसार कर्षवादी को जीपीसी। पत्रावली दिनांक 7/9/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर</p>
7/9/2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत। वडी व वडी के अधिवक्ता अनुपस्थित। पूर्व में भी अनुपस्थित रहे थे। आवज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 के अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय सत्र समाप्त होने के हैं। फुः वडी व वडी के अधिवक्ता के आवज लगवाई गई। कवरल वडी व वडी के अधिवक्ता अनुपस्थित। फुः वडी उपरक हजरी व फुः वडी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिमल शुगर टोकल सखिल फर्मल हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर</p>

  
29-8-22  
5. 1, 2, 4

  
7-9-22  
5. 1, 2, 4

राज  
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-